आदेश की सं० और ता०. वं	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख

03.03.2020

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया

उत्पाद वाद संख्या-119/2020

राज्य

बनाम

1. **संतोष कुमार भगत, पिता मोहन प्रसाद भगत, स्थाई पता-सा0+थाना-फारबीसगंज, जिला-अररिया। वर्तमान पता-सा0-पाडा पाड़ा कालीबाग, कोतवाली, थाना+जिला-जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल। (जप्त स्कार्पियो सं0-WB72B-0183 के स्वामी)**

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद **डगरूआ थाना कांड सं0-213/2019 दिनांक 03.11.19** के आलोक में प्रारम्भ की गई है। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 241/हि0शा0 दिनांक 21.01.2020** द्वारा राजसात का प्रस्ताव प्राप्त है। प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **उक्त वाहन की जाँच दिनांक 03.11.19 को बरसौनी टॉल प्लाजा के पास की गई**। जांच के क्रम में जप्त वाहन से **रॉयल स्टेग व्हिस्की का 109 बोतल (प्रति बोतल 750मि0ली0), रॉयल स्टेग व्हिस्की का 76 बोतल (प्रति बोतल 180मि0ली0), इम्पेरियल ब्लू व्हिस्की का 349 बोतल (प्रति बोतल 375मि0ली0) एवं इम्पेरियल ब्लू व्हिस्की का 103 पीस (प्रति पीस 180मि0ली0) विदेशी शराब** पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

इस वाद में विपक्षी को अपना पक्ष रखने हेतु उनके स्थाई तथा वर्तमान पते पर ज्ञापांक 792/विधि दिनांक 15.02.20 के द्वारा निबंधित डाक के माध्यम से नोटिस भेजा गया जिसके आलोक में स्थाई पता पर निर्गत नोटिस बिना तामिला के डाक विभाग द्वारा वापस कर दिया गया।

उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि **जप्त वाहन से रॉयल स्टेग व्हिस्की का 109 बोतल (प्रति बोतल 750मि0ली0), रॉयल स्टेग व्हिस्की का 76 बोतल (प्रति बोतल 180मि0ली0), इम्पेरियल ब्लू व्हिस्की का 349 बोतल (प्रति बोतल 375मि0ली0) एवं इम्पेरियल ब्लू व्हिस्की का 103 पीस (प्रति पीस 180मि0ली0) विदेशी शराब जप्त किया गया है जो जप्ती सूची में दर्ज है**। इस प्रकार जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन में किया गया है। विपक्षी को निबंधित डाक द्वारा नोटिस भेजा गया परन्तु विपक्षी उपस्थित नहीं हुए। जिससे प्रतीत होता है कि उन्हें कुछ नहीं कहना है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली चीजों का वर्णन है, जिसकी उपधारा 'घ' में वर्णित है कि **"उसे ढ़ोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन।"** स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-99 **"विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से**

संबंधित पूर्व में किये गये सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्त्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधान ही लागू होंगे और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किये जायेंगे।" ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत् प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को राजसात किया जाना आवश्यक है।

पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव, उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता के अभिकथन तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है तथा जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन हेतु किया गया है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के बाबजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा०प्र०से०, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **जप्त स्कार्पियो सं0-WB72B-0183** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

विपक्षी यदि पारित आदेश से असंतुष्ट हैं तो अपीलीय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त, बिहार के न्यायालय में 90 (नब्बे) दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

03/3/2020

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।